न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 175/2023 (GCMS No. 2023/183) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. भूरीसिंह पुत्र श्री हरीसिंह आयु 70 साल जाति जाट निवासी सेहती तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर राज.।

.....अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर (भरतपुर)।
2. पटवारी हल्का पलां तहसील कुम्हेर तामील जरिये तहसीलदार कुम्हेर (भरतपुर)।

.....रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायायल अति जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 06.06.2014 मुकदमा नं. 29/2014 उनवानी भूरीसिंह बनाम सरकार एवं निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 31.01.2014 प्रकरण संख्या 43/2013 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट।

उपस्थितिः—

1. अपीलान्ट की ओर से श्री गजेन्द्रसिंह, वकील
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से विद्वान राजकीय पैरोकार।

नि र्ण य दिनांक : 18.12.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 06.06.2014 एवं नायब तहसीलदार कुम्हेर के आदेश दिनांक 31.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का ने रिपोर्ट की है कि अपीलांट ने आराजी खसरा नम्बर 179 रकवा 0.36 हैक्टे. में से 0.18 हैक्टै. किस्म बारानी प्रथम वांके ग्राम सेहती तहसील कुम्हेर में कब्जा कर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलांट को अवधि 90 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित किया, साथ ही 50 गुना पेनल्टी कायम की। जिसकी अपील अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के यहॉ की, जिन्होंने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही मानने हुये अपील खारिज कर दी गई। जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरवी हेतु राजकीय अभिभाषक हाजिर अदालत आये।
3. उभयपक्ष के अभिभाषकगण को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं नायब तहसीलदार कुम्हेर का निर्णय साक्ष्य के विपरीत है। आराजी ख.नं. 179 रकवा 0.36 हैक्टे. किस्म बारानी वांके ग्राम सेहती तहसील कुम्हेर में स्थित है, जिसमें 0.18 हैक्टे. पर अपीलांट का कब्जा बताया गया है। उक्त खसरा नम्बर 179 के चपटेमा अपीलांट की खातेदारी आराजी है। अपीलांट की जानकारी के अनुसार उक्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है। अगर नाप में अपीलांट का कब्जा पाया गया तो अपीलांट रकवा छोडने को तैयार है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी की आराजी की चिपटेमा है, हो सकता है गलती से कुछ हिस्सा काश्त में आ गया हो। अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना कि अपीलांट पूर्व अतिक्रमी है जबकि रिकार्ड में ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे पता चल सके कि अपीलांट पूर्व अतिक्रमी है। अपीलांट वृद्व व्यक्ति है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करते हैं। पश्चातवर्ती अतिक्रमण की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से होती है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजकीय भूमि है। अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण अधीनस्थ न्यायालयों में प्रमाणित हुआ है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है, किन्तु अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि मैने कब्जा छोड दिया है तथा अब आगे भविष्य में कब्जा नहीं करूँगा और उक्त खसरा नम्बर से मेरा कोई संबंध व सरोकार नहीं है। इसके अलावा भी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में भी भविष्य में कब्जा नहीं करने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया। इसलिए प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्येनजर अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

6. फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास एवं शास्ति की सजा के आदेश को इस शर्त पर निरस्त किया जाता है कि वह इस आदेश के पारित होने की दिनांक से एक माह की अवधि में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कुम्हेर के समक्ष इस आशय का 100/– रूपये का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दे कि उसके द्वारा विवादित आराजी से अपना अतिक्रमण पूर्ण रूपेण हटा लिया है और भविष्य में कभी भी अतिक्रमण नहीं किया जावेगा तथा नायव तहसीलदार कुम्हेर उक्त शपथ पत्र में अंकित तथ्यों का मौके पर सत्यापन करेंगे। अपीलांट द्वारा कोई चूक किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश सिविल कारावास की सजा के आदेश यथावत रहेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 18.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर